फा. सं. ए-12033/4/2016-एनएसएस

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

युवा कार्यक्रम विभाग

****

विषय: युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) में उप कार्यक्रम सलाहकार के दो पदों को भरा जाना।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के क्षेत्रीय निदेशालयों जो अधिकाशंत: राज्य राजधानियों में स्थित हैं और एनएसएस निदेशालय, नई दिल्ली में उप कार्यक्रम सलाहकार के दो पदों को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर भरने के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग-बाह्य धारित पद में तत्कालीन प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. चयनित अभ्यर्थी को भारत में कहीं भी तैनात/स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी स्थान विशेष पर तैनाती से संबंधित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. चयनित अधिकारी का वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 6/8/2009/-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17.6.2010 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

4. पद के संबंध में पात्रता शर्तें, वेतनमान, आवश्यक अर्हताएं आदि निम्नानुसार हैं:-

पद: उप कार्यक्रम सलाहकार (समूह 'क' राजपत्रित)

वेतनमान: रु 15,600-39,100+ ग्रेड वेतन रु 7600 (छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार)

पात्रता: केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त संगठनों (विश्वविद्यालयों सहित) के अधिकारी

(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी अधिकारी; या

(ii) वेतन बैंड रु 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन रु 6600/- ग्रेड में 5 वर्षों की नियमित सेवा वाले अधिकारी ; या

(iii) वेतन बैंड रु 15,600-39,100+ ग्रेड वेतन रु 5400/- 10 वर्षों की नियमित सेवा वाले अधिकारी।

आवश्यक अर्हता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री

अनुभव:

(i) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) या राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) या राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम (एनएसवीएस) या खेल या संस्कृति सहित युवा संबंधी कार्यों या युवा कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों तथा शैक्षिक कार्यकलाप, कैम्पिंग के आयोजन में पांच वर्षों के अनुभव सहित प्रशासन के क्षेत्र में कार्य अनुभव

नोट 1: अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

नोट 2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयेाग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन वर्गों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी योग्यता संघ लोक सेवा आयेाग के विवेकानुसार शिथिलनीय है।

पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोटः प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई है) से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया हो और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) को प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा मानी जाएगी।

5. ऐसे अधिकारियों जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध) में भरकर, उनकी पूर्ण और अद्यतन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के साथ उचित माध्यम द्वारा इस कार्यालय को **इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के साठ दिन के अंदर भिजवा दें।**

6. अंतिम तारीख के बाद या वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के बिना भेजे गए या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदनपत्रों को अग्रेषित करते समय यह सत्यापित एवं प्रमाणित करें कि अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण सही है और अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता संबंधी मामला लंबित या अपेक्षित नहीं है।

अनुबंध 'क'

जीवनवृत्त प्रपत्र

(उप कार्यक्रम सलाहकार के पद के लिए)

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में):

2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):

3. केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि:

4. शैक्षिक अर्हताएं:

5. क्या इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताओं को पूरा करते हैं (यदि किसी अर्हता को नियमों में उल्लिखित अर्हता के समतुल्य माना गया है तो उसका प्राधिकार बताएं)

	अपेक्षित अर्हता/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/ अनुभव
अनिवार्य		
वांछनीय		

6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के अनुरूप आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

7. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या स्थायीवत या स्थायी:

8. नियोजन का कालक्रमानुसार विवरण, यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त हो, तो अपने हस्ताक्षरों से विधिवत अनुप्रमाणित शीट संलग्न करें:-

कार्यालय/संस्थान/ संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति

9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है तो कृपया बताएं:

(क) केंद्रीय सरकार

(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि

(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम,जिससे आप सम्बद्ध हैं

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं कि निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्यरत हैं:

(क) केंद्रीय सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) अधीनस्थ संगठन

11. क्या आप संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं?

यदि हां, तो तारीख जब से संशोधित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।

12. इस समय आहरित प्रतिमाह कुल परिलब्धियां:

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है जिसे आप उक्त पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे। यदि स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से शीट संलग्न करें।

14. क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं

15. अभ्युक्तियां

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता ....

....

तारीख.......................................

प्रतिहस्ताक्षर ....

उप कार्यक्रम सलाहकार/सहायक कार्यक्रम सलाहकार के कार्य

1 आंचलिक/क्षेत्रीय केंद्र के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों में राष्ट्रीय सेवा योजना और युवा संबंधित अन्य कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करना

2 राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर स्कीम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना

3. संबंधित राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालयों/केंद्रों में कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य करना

4. राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालयों के स्टाफ के नियंत्रक अधिकारी के रूप में कार्य करना

5. युवा संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करना

6. केंद्र सरकार को युवा संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में आवधिक सूचना उपलब्ध करवाना

7. राज्य/विश्वविद्यालय स्तर पर चयन समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करना, जब इसके लिए अनुरोध किया जाए

8. राष्ट्रीय सेवा योजना और युवा संबंधी अन्य कार्यक्रमों के लिए राज्य/विश्वविद्यालय स्तर की समन्वय और सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करना

9. विश्वविद्यालयों आदि से प्राप्त रिपोर्टों और विवरणियों की जांच और मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है

10. संबंधित राज्यों में युवा संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में हुई प्रगति से मंत्रालय को अवगत कराना

11. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित दौरों का आयोजन करना

12. यथा आवश्यकता आहरण और वितरण अधिकारी के रुप में कार्य करना

उन क्षेत्रीय निदेशालयों की सूची जहां उप कार्यक्रम सलाहकार का पद संस्वीकृत किया गया है। इन सभी क्षेत्रीय निदेशालयों में उप कार्यक्रम सलाहकार का केवल एक पद है।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली
2. क्षेत्रीय निदेशालय, बंगलुरू
3. क्षेत्रीय निदेशालय, चेन्नई
4. क्षेत्रीय निदेशालय, हैदराबाद
5. क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता
6. क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ